प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 67/2022

शीर्षक

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, जाति बलाई, निवासी ए 352, जे.जे. कॉलोनी, रघुवीर नगर, टैगोर गार्डन, एस.ओ. वेस्ट दिल्ली, हाल निवासी निठारा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–वादी

बनाम

1. औंकार पुत्र छोटुराम
2. कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश
3. कल्याण पुत्र दूलीचन्द
4. गुलाबचन्द पुत्र दूलीचन्द
5. गिरधारी पुत्र पेमाराम
6. घीसी देवी पत्नी दूलाचन्द
7. जयराम चौपड़ा पुत्र मांगूराम
8. दुर्गा पुत्र रेवडा
9. देवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
10. देवीसहाय पुत्र मोतु
11. दामोदर पुत्र मंगलाराम
12. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र दूलीचंद
13. नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
14. नारायण लाल चौपडा पुत्र मांगूराम
15. प्रेम पुत्री सेडूराम
16. प्रेम देवी पत्नी ओमप्रकाश
17. प्रहलाद पुत्र रेवडा
18. बंशी पुत्र मोतु
19. मक्खन लाल पुत्र सेडूराम
20. मदन लाल पुत्र बल्लूराम उर्फ बलदेव
21. मुरली पुत्र सुगला
22. माया देवी पुत्री सेडूराम
23. मिश्री पत्नी बल्लू राम उर्फ बलदेव
24. मीना देवी पुत्री मांगूराम
25. मोहरी पत्नी छोटूराम
26. रमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी पुत्री मांगूराम
27. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सेडूराम
28. रामअवतार पुत्र सेडूराम
29. रामप्रकाश चौपडा पुत्र मांगूराम
30. रामफूल पुत्र रूडाराम
31. रामेश्वरी पत्नी रोहिताश कुलदीप
32. लक्ष्मीनारायण पुत्र रूडाराम
33. सेडू पुत्र भूरा
34. सुरजी देवी पुत्री मांगूराम
35. सुल्तानराम पुत्र बल्लूराम उर्फ बलदेव
36. साधुराम पुत्र जगन्नाथ
37. सीताराम चौपडा पुत्र मांगूराम
38. हनुमान पुत्र रूडाराम समस्त जाति बलाई, समस्त वयस्क, समस्त निवासी निठारा, वाया मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं खातेदारी उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.10.2022

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नंबर 1304/1548, 1305, 1306, 1307, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1377, 1378, 1379 कुल किता 41 कुल रकबा 11.0500 है0 वाकै ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा में वर्तमान में दर्ज नाम हनुमान पुत्र चौथू के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, जाति– बलाई, सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज तारीख 14.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 67 / 2022

शीर्षक

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, जाति बलाई, निवासी ए 352, जे.जे. कॉलोनी, रघुवीर नगर, टैगोर गार्डन, एस.ओ. वेस्ट दिल्ली, हाल निवासी निठारा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–वादी

बनाम

1.औंकार पुत्र छोटुराम
2.कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश
3.कल्याण पुत्र दूलीचन्द
4.गुलाबचन्द पुत्र दूलीचन्द
5.गिरधारी पुत्र पेमाराम
6.घीसी देवी पत्नी दूलाचन्द
7.जयराम चौपड़ा पुत्र मांगूराम
8.दुर्गा पुत्र रेवडा
9.देवेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
10. देवीसहाय पुत्र मोतु
11. दामोदर पुत्र मंगलाराम
12. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र दूलीचंद
13. नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
14. नारायण लाल चौपडा पुत्र मांगूराम
15. प्रेम पुत्री सेडूराम
16. प्रेम देवी पत्नी ओमप्रकाश
17. प्रहलाद पुत्र रेवडा
18. बंशी पुत्र मोतु
19. मक्खन लाल पुत्र सेडूराम
20. मदन लाल पुत्र बल्लूराम उर्फ बलदेव
21. मुरली पुत्र सुगला
22. माया देवी पुत्री सेडूराम
23. मिश्री पत्नी बल्लू राम उर्फ बलदेव
24. मीना देवी पुत्री मांगूराम
25. मोहरी पत्नी छोटूराम
26. रमा देवी उर्फ रामेश्वरी देवी पुत्री मांगूराम
27. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सेडूराम
28. रामअवतार पुत्र सेडूराम
29. रामप्रकाश चौपडा पुत्र मांगूराम
30. रामफूल पुत्र रूडाराम
31. रामेश्वरी पत्नी रोहिताश कुलदीप
32. लक्ष्मीनारायण पुत्र रूडाराम
33. सेडू पुत्र भूरा
34. सुरजी देवी पुत्री मांगूराम
35. सुल्तानराम पुत्र बल्लूराम उर्फ बलदेव
36. साधुराम पुत्र जगन्नाथ
37. सीताराम चौपडा पुत्र मांगूराम
38. हनुमान पुत्र रूडाराम समस्त जाति बलाई, समस्त वयस्क, समस्त निवासी निठारा, वाया मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज.
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती ईन्द्राज एवं खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.10.2022

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 61 के हाल खसरा नंबर 1304 / 1548, 1305, 1306, 1307, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1377, 1378, 1379 कुल किता 41 कुल रकबा 11.0500 है0 वाकै ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1 / 16 है जिस पर वादी अपने हिस्सेनुसार खातेदार काबिज काश्त है नकल वर्तमान जमाबंदी संलग्न है। वादी के

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पिता का नाम मंगलराम है तथा वादी बचपन में ही चौथू पुत्र डालू के गोद चला गया था। इस प्रकार चौथू पुत्र डालू की मृत्यु होने पर इसकी खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 17.08.1972 को खोला गया जिसमें चौथू पुत्र डालू की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके दत्तक पुत्र वादी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार हुआ। जिस पर वादी शुरू से ही उपरोक्त वर्णित आराजियात पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता चौथू पुत्र डालू की मृत्यु के समय वादी लगभग 12 वर्ष का था उस समय वादी स्कूल में अध्ययनरत था तथा विद्यालय रिकॉर्ड में वादी ने अपने वास्तवित पिता का नाम मंगल राम दर्ज करवा रखा था। तब से लेकर आज तक वादी के समस्त दस्तावेजों में विद्यालय रिकॉर्ड में आधार कार्ड में पैन कार्ड में मतदाता पहचान पत्र में राशन कार्ड में बैंक खाते में वादी के पिता का नाम मंगलरांम ही अंकित है तथा उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में वादी के पिता का नाम चौथू अंकित है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम हनुमान पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू अंकित होना चाहिए जो दुरूस्तनीय है।

वादी को इस बाबत् आज से सप्ताह भर पूर्व जानकारी हुई जब वादी ने अपनी भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवायी और उसे बैंक में ले जाकर दी तो बैंक वालों ने बताया कि उक्त जमाबंदी में तुम्हारे पिताजी का नाम चौथू अंकित है तथा दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम मंगलराम अंकित है। वादी ने अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाने के लिये तहसीलदार शाहपुरा को भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी कैम्प प्रभारी को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम हनुमान पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू दर्ज करवाने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन उन्होंने आज तक नाम दुरुस्त नहीं किया तथा न्यायालय में जाकर नाम दुरुस्त करवाने के लिये कहा इस कारण वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू ही है। वादी के वास्तविक पिता का नाम मंगलराम तथा दत्तक पिता का नाम चौथू हैं वादी के वास्तविक पिता का नाम मंगलराम है जो वादी के समस्त दस्तावेजों में विद्यालय रिकॉर्ड में आधार कार्ड में पैन कार्ड में मतदाता पहचान पत्र में, राशन कार्ड में बैंक खाते में वादी के पिता का नाम मंगलराम ही अंकित है तथा उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में वादी के पिता का नाम चौथू अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम हनुमान पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू अंकित होना चाहिए जो दुरुस्तनीय है। वादी अपने हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज आबाद है । वादी को अपना नाम गलत दर्ज होने से अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है ।

अन्त मे वादी ने निवेद न किया कि हाल खसरा नंबर 1304/1548, 1305, 1306, 1307, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1377, 1378, 1379 कुल किता 41 कुल रकबा 11.0500 है0 वाकै ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा जिला राज0 के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम हनुमान पुत्र चौथू के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, जाति– बलाई, दुरुस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे व अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो दिये जाने की दिए जाने की कृपा करें।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा प्रश्नगत आराजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी को उक्त आराजी चौथू की विरासत के रूप में वादी गोदपुत्र मानते हुए जरिये नामान्तकरण सं0 214 दिनांक 30.10.72 के द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजात में पिता का नाम मंगलराम दर्ज होने से खातेदारी अधिकारों से वंचित होना साबित होता है जबकि वादी का प्रश्नागत आराजी पर कब्जा कास्त होना भी साबित होता है। । इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों के अवलोकन में भी यही जाहिर किये जाने से प्रश्नागत आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि हाल खसरा नंबर 1304/1548, 1305, 1306, 1307, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1377, 1378, 1379 कुल किता 41 कुल रकबा 11.0500 है0 वाकै ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा में वर्तमान में दर्ज नाम हनुमान पुत्र चौथू के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र मंगलराम दत्तक पुत्र चौथू, जाति– बलाई, सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.20222.को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर